राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद संख्या–93 (लो0सू0अ0)/2022–23

डॉ॰ वी॰पी॰एन॰ पाठक, पूर्व प्राचार्य निराला नगर, सिवान

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, पटना, बिहार

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
09.02.2023	डॉ॰ वी॰पी॰एन॰ पाठक, पूर्व प्राचार्य निराला नगर, सिवान के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–04.02.2023 इस कार्यालय में दिनांक–09.02.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का चेक संलग्न है। लेखा पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम अपीलीय प्राधिकार, राजभवन, पटना के नाम से बैंक में कोई एकाउन्ट नहीं है, इस लिए अन्य माध्यम से राशि प्राप्त की जा सकती है। उपर्युक्त के आलोक में बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 के नियम–3 (परिशिष्ट–1) के अनुसार 10/–रू॰ के अपील शुल्क की मॉग अपीलार्थी से अन्य माध्यमों से करें, ताकि अपील आवेदन स्वीकृत कर अग्रतर कार्रवाई की जा सके। साथ ही इनके द्वारा भेजे गए चेक को मूल प्रति में वापस करें। अपीलकर्त्ता डॉ॰ वी॰पी॰एन॰ पाठक ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–17.01.2023 को सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा दी गई सूचना से असंतुष्ट होने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–17.01.2023 की प्रति संलग्न की है। अतः अपीलार्थी से अन्य माध्यम (चेक को छोड़कर) से शुल्क की मॉग करें तथा अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक–15.03.2023 को उपस्थापित करें। सभी संबंधित को सूचित करें। विशेष कार्य पदाधिकारी –सह– प्रथम अपीलीय प्राधिकार	

अपील वाद संख्या–93 / 2022–23

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
15.03.2023	दिनांक–09.02.2023 को पारित आदेश के क्रम में अपीलार्थी डॉ॰ पाठक एवं उनकी पुत्री से क्रमशः 40/–रू॰ एवं 20/–रू॰ का पोस्टल आर्डर प्राप्त हुआ है, जबकि 10/–रू॰ के अपील शुल्क की मॉग बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 के नियम–3 परिशिष्ट–1 के आलोक में की गई थी। अतः इनके द्वारा भेजे गए अतिरिक्त पोस्टल आर्डर को मूल प्रति में वापस करें। लोक सूचना पदाधिकारी का भी प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसके अनुसार उन्होंने अपीलार्थी डॉ॰ पाठक को उनके प्रपत्र 'क' दिनांक–17.01.2023 के आलोक में सूचना का प्रेषण अपने पत्र संख्या–आर॰टी॰आई॰/ विविध–07/2023–17 रा॰स॰(I) दिनांक–25.01.2023 के माध्यम से किया है। विदित हो कि डॉ॰ पाठक ने प्रपत्र 'क' दिनांक–17.01.2023 के माध्यम से Legal Services Committee द्वारा राज्यपाल सचिवालय को भेजे गए पत्र ज्ञापांक–964 दिनांक–22.04.2022 के आलोक में की गई कार्रवाई से संबंधित सूचना की मॉग की है। लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से यह प्रतीत होता है कि उक्त पत्र के माध्यम से डॉ॰ पाठक द्वारा दिए गए परिवाद पत्र पर माननीय कुलाधिपति के आदेश से एक त्रिस्दसीय जॉच समिति का गठन किया गया है। लोक सूचना पदाधिकारी ने उक्त जॉच समिति से संबंधित अधिसूचना संख्या–1762 दिनांक–17.10.2022 की छायाप्रति अपीलार्थी डॉ॰ पाठक को उपलब्ध करा दिया है। अतः इस संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इस मामले में अग्रतर कार्रवाई की आवश्यता प्रतीत नहीं होती है। सभी संबंधित को सूचित करें। 15/3/2023 **विशेष कार्य पदाधिकारी** **–सह–** **प्रथम अपीलीय प्राधिकार**	